न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कालपी जालौन स्थान उरई।

मूल वाद संख्या – 137/ 2017

योगेंद्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह बनाम रामेश्वर दयाल आदि।

दिनांक – 19.10.2022

<u>वाद बिन्दु</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली वाद बिन्दु विरचन हेतु नियत है। अंतर्गत धारा 89, सिविल प्रक्रिया संहिता, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वार्की कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, (2010) 8 SCC 24, में अवधारित विधि व्यवस्था के अनुपालन में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुलह समझौते के संदर्भ में पूछा गया। उभयपक्ष द्वारा सुलह समझौते से इनकार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किए गए :

1. क्या वादी , वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर, प्रतिवादीगण संख्या 01 तथा 02 के विरुद्ध, विक्रयपत्र दिनांकित 27.11.2015 के संबंध में विक्रयपत्र निरस्तीकरण की आज्ञप्ति न्यायालय द्वारा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
2. क्या विक्रयपत्र दिनांकित 27.11.2015, छल व कपट पर आधारित है ?
3. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?
4. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
5. क्या न्यायालय को वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ?
6. क्या वाद , आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधनों से बाधित है ?
7. क्या वाद , धारा 34 तथा 41 विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानो से बाधित है ?
8. क्या वादी, वांछित अनुतोष अथवा अन्य किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दुओ के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही अन्य किसी वाद बिन्दु को बनाए जाने पर पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है। पत्रावली दिनांक 30.11.2022 को वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3, 4 तथा 5 के निस्तारण हेतु प्रस्तुत हो।

दिनांक –19.10.2022

अपर सिविल जज (जू०डि०), कालपी,
जालौन स्थान उरई।
JO ID – UP03785